

वाराणसी सर्वांगी भाव

सोना (RTGS 999.0)
89100/- inc.GSTगोदी (99.50)
98300/- प्रति किलोगोदी स्थिका
120000/- प्रति कोड़ा

उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से चल रहे 8991 ईंट-भट्ठे नियमों का उल्लंघन कर काशी में 270 ईंट-भट्ठों का संचालन

जनसंदेश न्यूज

वाह री व्यवस्था

वाराणसी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) एवं हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना को देखे हुए उत्तर प्रदेश में 8991 ईंट-भट्ठों का संचालन धड़ाम से किया जा रहा है। इसमें अकेले काशी में 270 ईंट-भट्ठों का संचालन हो रहा है। जिमेवरों का इस ओर ध्यान नहीं है या जान-बूझकर ध्यान देना नहीं चाहते हैं, वह तो वही जाने।

जानकारी इंट-भट्ठे ही प्रकाश-प्राप्त और अधिकारी गाइडलाइन के तहत चल रहे हैं। अधिकारी इंट-भट्ठे सिर्फ

मुताबिक फिल्स चिमनी इंट-भट्ठा संचालन के लिए सबसे पहले पर्यावरण प्रूफूण सर्टिफिकेट, फिर सीटोंएस (कॉर्टेंट टू स्टैबिलिस) आदि सीटोंओ (कॉर्टेंट टू ऑपरेट) आदि प्राइमरी स्टेज का पर्यावरण प्रूफूण सर्टिफिकेट लेकर या चिमनी भट्ठों के संचालन के लिए जरूरी सर्टिफिकेट के लिए महज अलाई करने के बाद ही इंट-भट्ठा शुरू कर देते हैं। संचालित अधिकारी की इस बात को अवैध ही इस बात को कबूल करते हैं कि चंद ईंट-भट्ठे ही नहीं गाइडलाइन के मुताबिक आईडी फैन लगाए हैं, बाकी इंट-भट्ठे गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं। जानकारों की

